**प्राथमिकता**

पत्रांक–स0नि0–आवासीय/कार्यालय अनुरक्षण/2022–23/ 49 /वाणिज्य कर

**कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0**
**(सम्पत्ति अनुभाग)**
**लखनऊ::दिनांक::अप्रैल, 22 2022**

1. **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,**
   **वाणिज्य कर, उ0प्र0।**
2. **अपर निदेशक(प्रशिक्षण),**
   **वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,**
   **लखनऊ।**

**विषयः–विभागीय आवासीय/कार्यालय भवनों में अनुरक्षण कार्य/निर्माण/लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवन व आवासीय भवनों में अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु लेखा अनुदान में बजट की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कुछ जनपदों से कार्य कराये जाने हेतु आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है जबकि मुख्यालय के पूर्व पत्र संख्या–274 दिनांक 09.09.2020 व पत्र संख्या–335 दिनांक 10.08.2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाना चाहिए था। मुख्यालय द्वारा बार–बार दिये गये निर्देशों को नजरअंदाज कर आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराये जा रहे है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम 04 माह के लिये पारित लेखानुदान के कम में आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने हेतु लेखाशीर्षक 2059–29 अनुरक्षण(कार्यालय भवन) व लेखाशीर्षक 2016–29(आवासीय भवन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर शासन द्वारा बजट अवमुक्त किया गया है तथा त्वरित गति से प्रश्नगत मद में कार्य किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में वाणिज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में मरम्मत/लघु निर्माण कार्य/नये निर्माण कार्य आदि के प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं का प्रस्ताव में उल्लेख किया जाना अपरिहार्य हैः–

1. शासन द्वारा निर्धारित लागत सीमा हेतु अधिकृत/अनुमोदित संस्था से ही कार्य कराया जा रहा है तथा कराये जाने वाले कार्य हेतु कार्यदायी संस्था शासन द्वारा नामित है।(शासनादेश–5/2015/ई–8–1092/दस–2015–1074/2012 दिनांक 08.09.2015)
2. वांछित कराये जाने वाले समस्त कार्यों का समावेश प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणन में सम्मिलित है।
3. कराये जाने वाले कार्यों का दायित्व का निर्धारण व भुगतान शासनादेश में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
4. कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव में, कार्य का स्पष्ट उल्लेख सक्षम स्तर के अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन प्रस्ताव में निहित धनराशि का मूल्यांकन स्थानीय स्तर से सक्षम स्तर के अधिकारी से कराकर, मूल्यांकन किये गये आगणन पर संबंधित कार्यदायी संस्था का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
6. जिस कार्य का स्थान, कार्य की प्रकृति समान हो उस कार्य को टुकड़ों में विभाजित न करके नियमानुसार एक साथ ही आगणन प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
7. मरम्मत, लघु निर्माण, नये निर्माण कार्य के कार्यों हेतु प्रेषित प्रस्तावों में वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निहित शासनादेशों के अंतर्गत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाए तथा उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए एवं कार्यदायी संस्था का चयन वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सूची में प्रथम वरीयता "ए" श्रेणी की कार्यदायी संस्था से आगणन प्रस्ताव प्राप्त किया जाए। उनसे प्राप्त न होने की दशा में "बी" व "सी" श्रेणी की कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्रस्ताव प्राप्त किया जाए तथा "ए" श्रेणी की कार्यदायी संस्था से किये गये पत्राचार का उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य किया जाए।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन प्रस्ताव में कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण कराने का टाइम–लाइन का उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य कराया जाए।

–2

9. आवासीय भवनों में मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–ए–2–1092/दस–2011– 24(7)–95 दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्रतिनिधायन/शर्तों के अंतर्गत ही मुख्यालय को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं के दृष्टिगत ही प्रेषित किये जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के दृष्टिगत वाणिज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय/आवासीय भवनों में मरम्मत/लघु निर्माण कार्य/नये निर्माण कार्य, जो अपरिहार्य कार्य के हो, की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्रस्ताव तीन(03) प्रतियों में प्रतिहस्ताक्षरित कर, उपलब्ध कराये जाने हेतु ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक), वाणिज्य कर को निर्देशित कर दें तथा स्वयं भी प्रभावी अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ के अनुमोदनोपरांत जारी किया जा रहा है।**

22/04/2022

**(सुधा वर्मा)**
**एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**प्रभार–एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

**पृ0प0सं0 व दिनांकःउक्त।**

**प्रतिलिपिः**–1. ज्वाइंट कमिश्नर(स्था0अराज0/प्रभारी नजारत), वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मुख्यालय नाजिर/आवासीय भवन नाजिर को उपरोक्तानुसार समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

2. ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय साइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

**एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**प्रभार–एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन), वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**